क्रम संख्या	कार्यवाही		आज्ञा या कार्यवाही
		आज दिनांक 03/6/19 ... हुई 21/6/19	
21.6.19		पत्रावली पेश हुई। वादी-अधिवक्ता उपस्थित। वादी-अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल-मिसल है। पत्रावली फैसल-शुमार, नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (प्रथम) जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:48:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(प्रथम)जयपुर शहर जयपुर

वाद संख्या :– 86/2017
पीठासीन अधिकारी – युगांतर शर्मा

किशन पुत्र कल्याण जाति रैगर निवासी ग्राम रामसिंहपुरा प0ह0 बेगस तहसील जयपुर जिला जयपुर

------ वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर,तहसील जयपुर जिला जयपुर।
2. विमला पुत्री छीतर पौत्री कल्याण।
3. मंजू पुत्री छीतर पौत्री कल्याण।
4. तीजा देवी पुत्री कल्याण।
5. म्होरी पत्नी कल्याण।
6. गीता देवी पत्नी कालूराम।
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम रामसिंहपुरा प0ह0 बेगस तहसील जयपुर जिला जयपुर।
7. सिण्डीकेट बैक शाखा बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
8. बैक ऑफ इण्डिया शाखा बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक 21.06.2019**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम अचानचूक्या पटवार क्षेत्र बेगस, तहसील व जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 17/1/5 रकबा 5 बीघा स्थित है। जो खसरा नम्बर तीन डिजिट में कम्प्यूटर में पकड नही करने से नम्बर शुद्व [redacted] डिजिट में खसरा नम्बर 17/68 रकबा 5 बीघा दर्ज किया गया है। उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड वादी का पिता कल्याण रहा। इसके मृत्यु के पश्चात नामान्तकरण संख्या 70 विरासत द्वारा वादी किशन पुत्र कल्याण, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 क्रमशः विमला मंजू पुत्रीयां छीतर, प्रतिवादी संख्या 4 तीजा पुत्री कल्याण व प्रतिवादी संख्या 5 मोहरी बेवा कल्याण के बराबर–बराबर अर्थात 1/4–1/4 हिस्सा नाम से स्वीकार व सजरा के अनुसार हुआ, तथा उसी हिस्से अनुसार कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करते रहे है। आराजी की जमाबन्दी में नोट लगाते [illegible] पटवारी द्वारा कल्याण के वारिसान के नाम वादी किशन पुत्र कल्याण, प्रतिवादी संख्या 2 विमला पुत्री छीतर प्रतिवादी संख्या 3 मंजू पुत्री छीतर प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 मोहरी बेवा कल्याण कर दिया गया जो गलत [illegible] से कल्याण की विरासत के पांच वारिसों के हिसाब से वर्तमान तक जमाबन्दी मे इन्द्रा[illegible] चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:48:56 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Scanned by CamScanner

यह कि उक्त आराजी में नामान्तकरण संख्या 104 के जरिये प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हिस्सा 1/5 मानते हुये बेचान जरिये विक्रय पत्र करने पर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति रैगर निवासी रामसिंहपुरा के नाम से स्वीकृत हुआ। उसके बाद रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति रैगर ने हिस्सा 1/5 प्रतिवादी संख्या 6 को बेचान कर दिया, तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने 1/5 हिस्से का अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया, जो 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का सही है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 आराजी में 1/20 हिस्सा शेष रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना 1/5 हिस्सा मानते हुये अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपने पुत्र वादी को कर दिया गया, जो उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 5 का अभी 1/20 हिस्सा शेष बचता है। इस प्रकार वादी का हिस्सा 9/20 दर्ज होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में 2/5 हिस्सा दर्ज है, और प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जमाबन्दी में 2/5 हिस्सा दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय हैं।जिससे आगे वाद ...द नही बढे। जिसकी रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का वादी अधिकारी हैं।

वादी द्वारा अपनें वाद में अनुतोष चाहा गया है कि इस आशय की घोषणा की डिक्री बहक वादी इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 17/68 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अचानचूक्या पटवार हल्का बेगस तहसील व जिला जयपुर मे स्थित है का राजस्व रिकार्ड में वर्तमान जमाबन्दी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 2/5 वादी का हिस्सा 2/5 प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/5 के बजाय वादी का हिस्सा 9/20 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का यथावत अर्थात 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दुरस्ती की जावें। यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा की डिग्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 17/68 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अचानचूक्या पटवार हल्का बेगस तहसील व जिला जयपुर भूमि पर वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप बाधा,मदाखलत,मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्व रहें तथा वादअधीन भूमि पर किसी भी प्रकार से बाहुबल के आधार पर कब्जा करने से निषेद्व रहे, तथा वादी द्वारा उक्त भूमि पर करवाये जा रहे निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा अपने–अपने कर्मचारियों, एजेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्व रखे। मौका व राजस्व रिकार्ड की ...स्थित बनायी रखें।

न्यायालय में वादी की और से प्रस्तुत प्रार्थन पत्र 16.10.17 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगणों की तामील जारी की गयी। दिनांक 15.1.18 को अप्रार्थी 05 की प्रोपर तामील हुई। दिनांक 28.2.18 को प्रतिवादी 07 की तामील हुई व जवाब भी पेश किया गया। दिनांक 15.3.18 को प्रतिवादी 03 की तामील हुई। प्रतिवादीगण 4, 5 व 6 की ओर से दिनांक 13.8.18 को जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी 2 व 3 को वास्ते जवाब पर्याप्त अवसर दिये जानें पर भी जवाब पेश न करने पर जवाब अवसर बंद किया गया। प्रतिवादीगण 07 की ओर से पृथक से जवाब पेश किया गया जिसमें अन्त में वादी दवारा वादपत्र में अंकित बिन्दुओं को स्वय सिद्व करनें का अंकन कि... यह है कि राजस्व ग्राम अचानचुक्या प0ह0 बेगस तहसील व जिला जय... ख0न0 17/ 1/5 रकबा 5 बीघा था जो ख0न0 तीन डिजिट ... शुद्वि पत्र सं0 4 दिनांक 15.6.12 के द्वारा दो डिजिट में ख0न0 17/68 रकबा ... वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। यह है कि उक्त आराजी में कल्याण की सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी दर्ज थी जिसमें कल्याण क मौत होने पर म्होरी पत्नी स्व0 कल्याण, तीजा पु... कल्याण किशन पुत्र कल्याण व स्व0 छीतर पुत्र कल्याण के मौत होने पर विमला मंजू पुत्रिया छीतर के नाम से ना0स0 70 दिनांक 19.9.94 के अनुसार बराबर–बराबर हिस्से में दर्ज होनी थी।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम) जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yudantar
Date: 2021.01.05 17:48:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह है कि जमाबन्दी में पटवारी द्वारा नोट लगाते समय किशन पुत्र कल्याण (वादी) प्रतिवादी संख्या 2 विमला पुत्री छीतर प्रति संख्या 3 मंजू पुत्री छीतर प्रति०स० 4 तीजा पुत्री कल्याण प्रति संख्या 5 म्होरी पत्नी स्व० कल्याण दर्ज कर दिया गया जो गलत है। जो कल्याण की विरासत 5 वारिसो के हिसाब से आज तक जमाबंदी में चला आ रहा है। यह है कि उक्त आराजी में नामांकन संख्या 104 के जरिये तीजा पुत्री कल्याण ने अपना हिस्सा 4/5 का जरिये रजिस्ट्री बैचान करने पर इन्द्राज रमेश पुत्र मंगलचन्द जाति रैगर निवासी रामसिंहपुरा के नाम से स्वीकृत हुआ है। जबकि तीजा का त्रुटिवंश 1/4 के बजाय 1/5 होने से प्रार्थिया ने हिस्सा 1/5 का ही बैचान किया है। नियमानुसार प्रार्थिया का हिस्सा इस भूमि में 1/20 हिस्सा शेष रहना चाहिए जो सही है। इसी प्रकार आगे रमेश द्वारा खरीद किया हुआ अपना हिस्सा 01/5 का बैचान करने से ना0स0 12 दिनांक 21.1.2012 को गीता देवी पत्नी कालूराम का हिस्सा 01/5 जाति रैगर सा0 रामसिंहपुरा स्वीकृत हुआ।इसी प्रकार रामू म्होरी द्वारा अपना हिस्सा त्रुटिवंश 1/4 के बजाय 1/ होने से हिस्सा 1/5 का हक त्याग करने से इन्द्राज किशन पुत्र कल्याण जाति रैगर के नाम से नामान्तरण स्वीकृत हुआ। नियमानुसार म्होरी का इसी भूमि में हिस्सा 01/20 शेष रहना चाहिए। **इसी प्रकार** से आगे बनने वाली जमाबन्दियों में पूर्ववत गलत इन्द्राज चलता रहा वर्तमान जमाबन्दी में विमला पुत्री छीतर मन्जू पुत्री छीतर हिस्सा 2/5 दर्ज है। इस प्रकार से जमाबन्दी में गलत अपने नाम चढे हुए हिस्सा अनुसार विमला मन्जू पुत्रिया छीतर का हिस्सा 1/4 के बजाय 2/5 होने से दोनो ही ने अपने नाम चढी हुई गलत हिस्सा की भूमि हिस्सा 2/5 पर बैक से ऋण प्राप्त कर लिया जो गलत है जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में किया हुआ है। जो हिस्सा 1/4 होना चाहिए। किशन पुत्र कल्याण का हिस्सा 2/5 दर्ज है जो 9/20 होना चाहिए तथा गीता देवी पत्नी कालूराम का हिस्सा 1/5 दर्ज है जो सही है। तीजा पत्नी कल्याण का हिस्सा 1/20 व म्होरी का हिस्सा नियमानुसार शेष रहना चाहिए। यह है कि वादी जमाबन्दी में गलत हि0 को रिकार्ड में दुरूस्त करने घौषणा कराने का वैधानिक अधिकारी है।

प्रतिवादी गण 4,5,6 का प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन पेश किया गया जिसमें नामांन्तकरण का अमल करते हुए समस्त हिस्सा गलत अंकित कर दिया गया। विकय पत्र व हक त्याग के पश्चात हिस्से को सही करना चाहिये था।

न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड /दस्तावेजो व सरकार जबाब का बारीकी से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। ग्राम अचानचूक्या पटवार क्षैत्र बेगस तहसील जयपुर व जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 17/1/5 रकबा 5 बीघा में जो खसरा नम्बर तीन डिजिट में कम्प्यूटर में पकड़ नही करने से नम्बर शुद्व दो डिजिट में खसरा नम्बर 17/68रकबा 5 बीघा दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 104 व नामान्तकरण संख्या 70 विरासत के द्वारा पक्षकारों के मध्य हुये हिस्सों में हुई गलती व जरिये विकय पत्रों से बेचान पर हिस्सों में गलती होनें पर वाद पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार जयपुर जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन व बहस वादी अधिवक्ता मनन पश्चात न्यायालय इस निर्णय पर पंहुचा है कि वादी द्वारा वाद पत्रानुसार हुई पक्षकारों के हिस्सों में गलती को शुद्व किया जाना न्यायोचित है तथा वादी द्वारा पेश वाद स्वीकार करना उचित समझते हुए ग्राम अचानचुक्या तहसील जयपुर के आराजीमात खसरा नम्बर 17/68 रकबा 05 बिग्घा में वादी का हिस्सा 9/20 प्रतिवादी सं. 2 व 3 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 4 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी 5 का 1/20 हिस्सा प्रतिवादी 6 का यथावत हिस्सा अर्थात 1/5 हिस्से के उक्त को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जयपुर को पक्षकारों के हिस्सों को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने तहरीर जारी हो, अंतिम डिक्री जारी हो।

आज दिनांक 21.06.2019 को निर्णय मेरें द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर प्रथम जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2021.01.05 17:48:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner